(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–3271–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–08–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर सम्भाग, सागर के प्रकरण क्रमांक–364/ए–70/2014–15

.....

1– हीरा यादव तनय श्री देवी यादव
2– द्वारका यादव तनय श्री देवी यादव
निवासीगण–ग्राम पहाड़ी तलवारन
तहसील व जिला–टीकमगढ़, म.प्र.

------आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला फूला देवी पत्नी करन सिंह यादव
निवासी–ग्राम पहाड़ी तिलवारन तहसील व
जिला– टीकमगढ़, म.प्र.
2– कैलाश तनय लक्ष्मीनारायण नायक
निवासी–नमकों का मोहल्ला तहसील
जिला– टीकमगढ़, म.प्र.

------अनावेदकगण

.....

श्री पी.के. तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री चन्द्रेश श्रीवास्वत, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 22 02 2019 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

(3)

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका क्रमांक 1 फूलादेवी पत्नी करन सिंह यादव द्वारा ग्राम सांवतनगर स्थित भूमि खसरा नंम्बर 126/2 रकबा 0.786, खसरा नंबर 127 रकबा 0.263 है. एवं खसरा नंबर 128/3 रकबा 0.200 हैक्टेयर पर कब्जा दिलाये जाने बावत तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत बेदखली का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 06–08–2013 को बेदखली का आवेदन–पत्र स्वीकार कर आवेदकगण को 3 दिवस के अन्दर अवैध कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–07–2014 से स्थिर रखा है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–07–2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश किये जाने पर अपर आयुक्त ने दिनांक 19–08–2016 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को युक्तिसंगत मानते हुये स्थिर रखा । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा संलग्न सूची दस्तावेज के साथ प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक 560–एक/2017 में पारित आदेश दिनांक 14–02–2017 की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 16/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26–07–2012 के आधार पर तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया था। जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 06–08–2013 को सीमांकन के आधार पर अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिये थे। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया था । राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 14–02–2017 से तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–07–2012 निरस्त किया जाकर तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश दिये थे कि वह वादग्रस्त भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू–अभिलेख से समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये परिमाप मशीन

22/2/2019

के द्वारा कराये तथा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः विधिवत आदेश पारित करने के निर्देश दिये है। इसलिये बेदखली के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस निगरानी का अब कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समाप्त की जाती है । उभयपक्ष राजस्व मण्डल के सीमांकन आदेश के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये स्वतंत्र है।

(आर.के. जैन) 22/02/2019
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,